ई–मेल

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बस्ती।

पत्रांकः 121 / अधि0 / स0सु0 / 2020, दिनांकः 18 जून, 2020

अधिसूचना

चूकिं केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब हो जाने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा के उक्त कारणों से संतुष्ट हो जाने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्ती जनपद से होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहन की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ–गोरखपुर एन.एच.28	विक्रमजोत से टेमीपुल (चैनेज 137 से 142–214)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	लुम्बनी दुधीमार्ग एन.एच.233	कलवारी से ककरहवा (चैनेज 210 से 65.870)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	अन्य जिला मार्ग	हरैया से लकडमण्डी मखौडा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4.	अन्य जिला मार्ग	विशेषरगंज बसंतपुर कसियापुर रेवदास मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5.	अन्य जिला मार्ग	टूटी भीटी–विक्रमजोत मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	अन्य जिला मार्ग	श्रृंगीनारी मेढ़ाये रजवापुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7.	अन्य जिला मार्ग	संसारीपुर–पैकोलिया मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8.	अन्य जिला मार्ग	बाघानाला परसरामपुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	अन्य जिला मार्ग	हरैया सिरपतपुर श्रृंगीनारी मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10.	अन्य जिला मार्ग	हरैया बभनान मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	अन्य जिला मार्ग	परसा परसरामपुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	अन्य जिला मार्ग	सिकन्दरपुर मसकिनवा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	अन्य जिला मार्ग	श्रीराम जानकी मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14.	अन्य जिला मार्ग	पैकोलिया शिवाघाट मार्ग	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0 प्रति

		प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	घण्टा
	अन्य जिला मार्ग	महराजगंज दुबौलिया अशोकपुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	अन्य जिला मार्ग	गौर हलुआ वेलवारिया जंगल मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17.	अन्य जिला मार्ग	कप्तानगंज पिपरागौतम मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18.	अन्य जिला मार्ग	मेंहदावल रूधौली डुमरियागंज मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19.	अन्य जिला मार्ग	सोनहा शिवाघाट मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20.	अन्य जिला मार्ग	रूधौली भानपुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21.	अन्य जिला मार्ग	विशुनपुरवा हनुमानगंज सुरवार मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22.	अन्य जिला मार्ग	भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
23.	**स्टेट हाइवे**	बस्ती कांटे मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
24.	अन्य जिला मार्ग	जिला अस्पताल चौराहे से कैली हास्पिटल सोनूपार रामपुर देवरिया मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
25.	अन्य जिला मार्ग	बस्ती महसों महुली मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
26.	अन्य जिला मार्ग	मुण्डेरवा रामपुर बनकटी मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
27.	अन्य जिला मार्ग	मुण्डेरवा लालगंज मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
28.	**स्टेट हाइवे** (S.H-0026)	बस्ती भानपुर मार्ग	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगाः–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भित एवं अन्ति बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई.आर.सी. कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाय।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

- (अ) अग्निशमन वाहन।
- (ब) एम्बुलेन्स।
- (स) पुलिस वाहन।
- (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्धसैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (10) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथाक्त लागू रहेगी।

आज्ञा से

(अरूण प्रकाश चौबे)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, बस्ती।

पत्रांकः 121 /अधि0स0सु0 / 2020 समदिनांकित।

1— परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2— अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3— जिलाधिकारी, बस्ती।
4— पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
5— सहायक सूचना / उप सूचना निदेशक, बस्ती को इस आशय प्रेषित की दैनिक समाचार पत्रों में जनहितार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6— अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0) उ0प्र0, लखनऊ।
7— उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) लखनऊ।
8— संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा / प्रर्व) बस्ती संभाग।
9— अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग बस्ती।
10— राष्टीय राजमार्ग (गोरखपुर–लखनऊ मार्ग) बस्ती।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, बस्ती।
10/6/2020